

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta J.M.F.C., Gohad, DIST.- BHIND (M.P)

Case No. 134/173 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

शा. पु. गौहड़
Name, parentage, caste and address of accused

V10

① कपू लाल शर्मा S10 लखीश 35 वर्ष
पति वधक R10 लखीश 35 वर्ष P.S गौहड़

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 7-2-17 को समय लगभग 22-00 बजे, वर्क 2205
गौहड़ में वाहन इसके R6P 2783026
को R1P 2783026 को बिना रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस/ बीमा/नम्बर प्लेट/
इसके 2205 के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 M.V. Act के तहत
दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के सज्जन में आता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है.

रु. वाकिशो 2

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 25-2-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी रूप निरीर वरदान को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कमशः राशि रुपये 2000/- कुल रु0 () के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन 24.03.2017 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।
अज्ञाने, R6F2783026 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

A.K.Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)